

## फर्द अहकाम

विशेष विम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

बनाम

मंदिर श्री नृसिंह भगवान घासीपुरा

लल्लूलाल

जस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र संख्या 116/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.01.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 6 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 72 रकबा 0.9104 है०, 73 रकबा 0.0632 है० स्थित ग्राम घासीपुरा पटवार हल्का दनाउंकलां भू०अ०नि० तूंगा तह० तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 128/2023 मंदिर श्री नृसिंह भगवान घासीपुरा बनाम लल्लूलाल के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।</p>	

सहायक कलक्टर  
बस्सी, जिला जयपुर